कार्यालय अधिकारी अभिलेख, प्रमाणित प्रतिलिपि

न्यायालय उपजिलाधिकारी रानीगंज, प्रतापगढ़

वाद सं0 : 01/T20140257059६

श्रीमती कुसुम कुमारी बनाम सरकार उ0प्र0
ग्राम खरहर, परगना पट्टी,
तह0 रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़
अन्तर्गत धारा – 143 ज0वि0अधि0

निर्णय

प्रस्तुत वाद श्रीमती कुसुम कुमारी उपाध्याय पत्नी हरिशंकर उपाध्याय निवासिनी औवार, तहसील रानीगंज, जिला प्रतापगढ़ के प्रार्थना पत्र के आधार पर धारा 143 ज0वि0अधि0 के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया । प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि वाद ग्रस्त भूमि गाटा सं0 421ख/0.208 में से रकबा 0–3–14 सम्पूर्ण का बैनामा लिया है। दिनांक बैनामा से बराबर काबिज दखील चली आ रही है । उक्त गाटा में कृषि कार्य नही किया जा रहा है। वादग्रस्त भूमि को अकृषिक दर्ज किया जाना न्याया हित में आवश्यक हैं । अन्त में वादग्रस्त भूमि स्थित ग्राम खरहर की गाटा सं0 421ख/0.208हे0 में से 0–3–14 को अकृषिक [illegible] करने की याचना किया है ।

प्रकरण की जांच तहसीलदार रानीगंज से करायी गयी । तहसीलदार की [illegible] दिनांक 30.11.2013 संलग्न पत्रावली पर है । तहसीलदार ने आख्या दिया है कि आवेदिका कुसुम कुमारी उपाध्याय पत्नी हरिशंकर उपाध्याय निवासिनी औवार परगना सदर तहसील रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ गाटा सं0 421ख रकबा 0.047 हे0 का बैनामेदार हैं । इस भूमि से पूरब 75 मीटर पर महा विद्यालय का भवन व 10 मीटर पर कमरा व बाउन्ड्री है । आवेदिका [illegible] भूखण्ड को धारा 143 के अन्तर्गत अकृषिक घोषित कराना चाहता हैं । विवादित भूखण्ड [illegible] स्थल की छायाप्रति संलग्न की गई है । उक्त भूखण्ड में सहखातेदारों में कोई [illegible] उक्त भूखण्ड को गैरकृषिक आबादी प्रख्यापित किये जाने की आख्या तहसीलदार द्वारा [illegible] की गई है ।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखीय साक्ष्यों एवं तहसीलदार रानीगंज की [illegible] दिनांक 30.11.2013 का भली–भांति परिशीलन किया गया । उपलब्ध साक्ष्यों एवं [illegible] की जांच आख्यानुसार भूमि गाटा सं0 421ख रकबा 0.047 हे0 भूमि का प्रयोग कृषि प्रयोजन से भिन्न आबादी के रूप में किया जा रहा है । नियमानुसार धारा 143 ज0वि0 अधि0 के अन्तर्गत प्रख्यापन किया जाना उचित प्रतीत होता है ।

आदेश

अतः भूमि गाटा सं0 421ख रकबा 0.047 हे0 स्थित ग्राम खरहर, प0 पट्टी, तह0 रानीगंज जो 1420 ता 1425फ0 में श्रीमती कुसुम कुमारी उपाध्याय पत्नी हरिशंकर उपाध्याय निवासिनी औवार, तहसील रानीगंज, जिला प्रतापगढ़ के नाम संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है का कृषि प्रयोजन से भिन्न अर्थात आवासीय उपयोग मे होने के कारण भू – राजस्व से मुक्त करते हुए प्रख्यापित किया जाता है । उ0प्र0 ज0वि0 अधि0 की नियमावली के नियम [illegible] आदेश की एक प्रति निंशुल्क निबन्धन हेतु उपनिबन्धक रानीगंज को भेजा जाय । [illegible] दरामद जारी हो । बाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो ।

उप जिलाधिकारी
रानीगंज, प्रतापगढ़

S.D.M.
Raniganj
Pratapgarh

यह निर्णय व आदेश आज दिनांक को खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित, दिनांकित एवं उद्घोषित किया गया ।

उप जिलाधिकारी
रानीगंज प्रतापगढ़

प्रारूप अन्तर्गत नियम 135 धारा 143 ज0वि0अधि0

ग्राम का नाम – खरहर परगना – पट्टी तहसील – रानीगंज जनपद – प्रतापगढ़

क्र0 सं0	गांव का नाम	भूमिधर का नाम उसके पिता का नाम और निवास स्थान	खाता खतौनी संख्या	खाते का क्षेत्रफल	माल गुजारी	गैर कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग लाये जाने वाले खाते का क्षेत्रफल (क) गाटा संख्या	(ख) क्षेत्रफल	विशिष्ट गैर कृषि प्रयोजन जिसके लिए खाता या उसका कोई भाग काम में लाया जाता है	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	खरहर	श्रीमती कुसुम कुमारी पत्नी हरिश्चन्द्र उपाध्याय नि० औवा पट सदर हेड़ रानीगंज - प्रतापगढ़	163	0.208	.	421 [illegible]	0.045	0.045 हे० [illegible] 8/3/15 [illegible]	– [illegible] 20.3.15

प्रबन्धक
आचार्य सदाशिव सूरजकली
सामाजिक एवं तकनीकी विकास समिति
[illegible] गिरधीगंज, प्रतापगढ़

प्रबन्धक
आचार्य सदाशिव सूरजकली
सामाजिक एवं तकनीकी विकास समिति
[illegible] गिरधीगंज, प्रतापगढ़

प्रारूप अन्तर्गत नियम 135 धारा 143 ज0वि0अधि0

ग्राम का नाम – खरहर परगना – पट्टी तहसील – रानीगंज जनपद – प्रतापगढ

क्र0 सं0	गांव का नाम	भूमिधर का नाम उसके पिता का नाम और निवास स्थान	खाता खतौनी संख्या	खाते का क्षेत्रफल	माल गुजारी	गैर कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग लाये जाने वाले खाते का क्षेत्रफल		विशिष्ट गैर कृषि प्रयोजन जिसके लिए खाता या उसका कोई भाग काम में लाया जाता है	विशेष विवरण
						(क) गाटा संख्या	(ख) क्षेत्रफल		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	खरहर	श्री रविशंकर उपाध्याय सुत श्री शंकर उपाध्याय नि0 औवार पेर सदर तह0 - रानीगंज, प्रतापगढ़	0049	0.063 हे0	–	424	0.052 हे0	0.052 हे0 [signature] 1/15/20 प्रतिहस्ताक्षरित [signature] 18/9/20 S. [signature] 23/9/20 Rani... Prat...	

प्रारूप अन्तर्गत नियम 135 धारा 143/ज0वि0अधि0

ग्राम का नाम – खरहर (?)   परगना – पट्टी   तहसील – रानीगंज   जनपद – प्रतापगढ़

क्र0 सं0	गांव का नाम	भूमिधर का नाम उसके पिता का नाम और निवास स्थान	खाता खतौनी संख्या	खाते का क्षेत्रफल	माल गुजारी	गैर कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग लाये जाने वाले खाते का क्षेत्रफल (क) गाटा संख्या	(ख) क्षेत्रफल	विशिष्ट गैर कृषि प्रयोजन जिसके लिए खाता या उसका कोई भाग काम में लाया जाता है	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	खरहर (?)	श्रीमती कुसुम कुमारी पत्नी [illegible] आवासीय नि0 [illegible] तह0 रानीगंज प्रतापगढ़	020 0190	0.05060 0.4070	- -	430 मि0 429	0.05060 0.2070	0.05060 [illegible] 0.2070 [illegible signature] [illegible] 4/11/21 संस्तुति सहित [illegible] [illegible signature] 9/11/21 SDM	S.D.M. Raniganj Pratapgarh